माननीय न्यायधीश श्री महताब एस. गिल और श्री राकेश कुमार जैन जी के समक्ष

सुमन और अन्य, - अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, - प्रतिवादी

एल.पी.ए. 2007 की संख्या 125 आईएन सी.डब्ल्यू.पी. 2005 की संख्या 12590

29 अप्रैल, 2008

**भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973-एस.एस. 18, 26 और 27–हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1978–आरएल 70–हरियाणा नगर निगम व्यवसाय उपनियम 1981–उपनियम 4 और 14–एमसी के चुनाव–आरएल.70 के तहत आयोजित बैठक में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई–कोई चुनाव नहीं उस बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष - 1973 अधिनियम की धारा 27 के तहत परिभाषित एक विशेष बैठक में चुनाव - समिति की किसी भी सामान्य या विशेष बैठक में किसी भी व्यवसाय के लेनदेन के लिए धारा 27 कोरम आवश्यक है जो सदस्यों की संख्या का आधा होगा वास्तव में उस समय सेवारत - निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की घोषणा करने वाला प्रस्ताव आवश्यक कोरम के बिना पारित हो गया, जिसे कानून के अनुसार अवैध और अस्थिर माना जाता है - एकल न्यायाधीश के अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया गया, जबकि उत्तरदाताओं को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया गया।**

यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियमावली के नियम 70 के तहत बुलाई गई बैठक में केवल नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई और चुनाव नहीं कराया गया। चूंकि चुनाव एक विशेष बैठक में आयोजित किए गए हैं, जिसे अधिनियम की धारा 27 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसके लिए कोरम उस समय सेवारत सदस्यों की संख्या के आधे के रूप में प्रदान किया जाता है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, कानून के अनुसार आवश्यक कोरम के बिना विवादित प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता था। इसलिए, विवादित आदेश कानून की नजर में स्पष्ट रूप से अवैध और अस्थिर है। (पैरा 14)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि यदि उत्तरदाताओं के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल नियमों के नियम 70 के तहत बुलाई गई बैठक में ही किया जा सकता है और केवल विशेष या सामान्य बैठकों में ही कामकाज किया जा सकता है और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव समिति का काम नहीं है तो फिर 5 अगस्त, 2005 का आक्षेपित प्रस्ताव एक विशेष बैठक में कैसे पारित किया जा सकता है, जिसमें उत्तरदाताओं, संख्या 4 और 5 को चुना गया है। इसलिए, किसी भी कोण से देखने पर, लागू किया गया प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अवैध और अस्थिर है। (पैरा 15)

**भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226-हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973-एसएस.18 26 और 27-धारणीयता-एमसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव-चुनाव याचिका का वैकल्पिक उपाय-क्या उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है-हेल्ड, नहीं।**

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पृथ्वी राज बनाम राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और अन्य, 2007 (2) आईएलआर (पंजाब और हरियाणा) 206 के मामले में पूर्ण पीठ का फैसला बताता है कि नगरपालिका अधिनियम के तहत चुनाव जारी होने के साथ शुरू होता है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 13-ए (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना। इसके बाद चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। परिणाम की घोषणा के साथ 'चुनाव' समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव पर सवाल उठाने वाली याचिका पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए चुनाव के नतीजे का इंतजार करना होगा और फिर भी। चुनाव आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव याचिका दायर कर आग्रह किया जाए। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए वर्तमान चुनाव पूर्वोक्त निर्णय के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका विचारणीय थी, हालांकि इस पहलू को मुख्य याचिका के रूप में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तय नहीं किया गया है। योग्यता के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया। (पैरा 17)

याचिकाकर्ताओं के लिए एस.पी. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता और धीरज जैन, अधिवक्ता।

एस.के. बिश्नोई, डीएजी हरियाणा उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के लिए

पी.के. मुटनेजा, वकील, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के लिए।

बी.एस. सरा प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से वकील

माननीय न्यायधीश राकेश कुमार जैन जी

(1) नगरपालिका समिति, पिंजौर के चुनाव 21 मार्च, 2004 को हुए थे जिसमें 15 सदस्य चुने गए थे और दो पदेन सदस्य, अर्थात् संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य नामित किए गए थे। 12 अप्रैल, 2004 को नगर निगम कमेटी के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के संबंध में एसडीओ (सी) कालका की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी 15 निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया था और उन्हें शपथ दिलाई गई थी। 17 फरवरी, 2005 के अपने आदेश के तहत, उपायुक्त, पंचकुला ने नगरपालिका समिति, पिंजौर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए एसडीओ (सी) जे कालका की अध्यक्षता में 21 फरवरी, 2005 को सुबह 9 बजे एक विशेष बैठक बुलाई। 21 फरवरी, 2005 को दर्ज बैठक की कार्यवाही के अनुसार, विशेष बैठक की सूचना सभी 17 सदस्यों को दी गई थी, लेकिन केवल 8 सदस्य ही बैठक में शामिल हुए, जिनके हस्ताक्षर और उपस्थिति दर्ज की गई थी, लेकिन चूंकि सदन का कोरम पूरा होना आवश्यक था। 9 बजे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बुलाई गई विशेष बैठक स्थगित/स्थगित कर दी गई। हालाँकि, 21 फरवरी, 2005 की किस बैठक को स्थगित/स्थगित किया गया, इसकी कोई तारीख और समय घोषित नहीं किया गया। दिनांक 2 अगस्त, 2005 को नोटिस द्वारा एसडीओ (सी) कालका ने समिति के सदस्यों को सूचित किया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 5 अगस्त, 2005 को वन परिसर, पिंजौर के सम्मेलन हॉल में एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। . 2 अगस्त, 2005 के नोटिस के अनुसार परिकल्पित विशेष बैठक 5 अगस्त, 2005 को एसडीओ (सी) कालका की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें 17 में से 8 निर्वाचित सदस्य फिर से उपस्थित हुए और भाग लिया। दिनांक 5 अगस्त, 2005 की बैठक की कार्यवाही में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि 21 फरवरी, 2005 को अध्यक्ष एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए बुलाई गई बैठक कोरम के अभाव के कारण स्थगित कर दी गई थी,

तथापि, बैठक दिनांक 5 अगस्त, 2005 को 8 सदस्यों के साथ आगे बढ़ाया गया जिसमें कुलदीप सिंह और श्रीमती थे। सर्वसम्मति से कृष्णा लकड़ा को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुना गया. इसके बाद कार्यवाही पूरी घोषित कर दी गई। उपरोक्त चुनाव अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त, 2005 के बाद हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 24 उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई और कुलदीप सिंह को नगरपालिका समिति, पिंजौर के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया। .

(2) वर्तमान अपीलकर्ताओं ने सी.डब्ल्यू.पी. दायर किया था। 2005 की संख्या 12590 में 5 अगस्त, 2005 के संकल्प को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई है, जिसके माध्यम से कुलदीप सिंह और श्रीमती। 8 अगस्त, 2005 की अधिसूचना के अनुसार, कृष्ण लाकड़ा को नगरपालिका समिति, पिंजौर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसके तहत कुलदीप सिंह को नगरपालिका समिति, पिंजौर के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया था और आगे परमादेश निर्देशन की प्रकृति में एक रिट की मांग की गई थी। आधिकारिक उत्तरदाताओं ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय की एकल पीठ ने 3 अप्रैल, 2007 को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नियमों के तहत कोई कोरम की आवश्यकता नहीं है और चूंकि समिति का व्यवसाय सामान्य रूप से किया जाता है। या विशेष बैठक, इसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव केवल समिति के कार्यों के निर्वहन को सुविधाजनक बनाता है। यह भी माना गया कि इस न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार वर्जित नहीं है और दी गई परिस्थितियों में, यह न्यायालय सीधे (रक्ष कुमार जैन, जे.) रिट याचिका पर विचार कर सकता है। हालाँकि, वैकल्पिक उपचार के प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया गया क्योंकि रिट याचिका गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई थी।

(3) वर्तमान अपील में, अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 3 अप्रैल, 2007 के आदेश, 5 अगस्त, 2005 के संकल्प और साथ ही 8 अगस्त, 2005 की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसके तहत उत्तरदाताओं का चुनाव संख्या 5 है। अधिसूचित किया गया था.

(4) अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.पी. जैन ने मामले की योग्यता पर विचार करने से पहले, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 18, 26, 27 का उल्लेख किया, अलविदा- हरियाणा नगरपालिका व्यवसाय उपविधि, 1981 के कानून 4 और 14 (संक्षेप में 'उपविधि') और हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 के नियम 70 (संक्षेप में 'नियम') क्योंकि वे निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं। वर्तमान विवाद. उपरोक्त प्रावधानों को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जा रहा है:

> **धारा 18:** अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव।- (1) प्रत्येक नगरपालिका समिति या नगर परिषद, समय-समय पर, अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक को ऐसी अवधि के लिए अध्यक्ष चुनेगी, जो निर्धारित की जा सकती है, और सदस्य इस प्रकार निर्वाचित नगर पालिका समिति या नगर परिषद का अध्यक्ष बनेगा:
>
> बशर्ते कि नगर समिति और नगर परिषद में अध्यक्ष का पद, संक्रमण 10 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होगा:
>
> बशर्ते कि यदि पद राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए उसी श्रेणी से नया चुनाव किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नगर पालिका समिति या नगर परिषद भी, समय-समय पर, [अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी]:

बशर्ते कि यदि उपाध्यक्ष का पद उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु के कारण खाली हो जाता है , त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव, शेष अवधि के लिए नया चुनाव कराया जाएगा।

(3) उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पाँच वर्ष की अवधि के लिए या सदस्य के रूप में उसके कार्यालय की शेष अवधि के लिए, जो भी कम हो, होगा।

**धारा 26** : साधारण और विशेष बैठकें.–(1) समिति की प्रत्येक बैठक या तो सामान्य या विशेष होगी.

(2) कोई भी व्यवसाय सामान्य बैठक में किया जा सकता है जब तक कि इस अधिनियम या नियमों के अनुसार किसी विशेष बैठक में लेनदेन करना आवश्यक न हो।

(3) जब एक विशेष और एक सामान्य बैठक एक ही दिन के लिए बुलाई जाती है तो आवश्यक कोरम पूरा होते ही विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।

**धारा 27**: कोरम.–(1) किसी समिति की विशेष बैठक में व्यापार के लेन-देन के लिए आवश्यक कोरम उस समय वास्तव में सेवारत समिति के सदस्यों की संख्या का आधा होगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा तीन।

(2) किसी समिति की किसी भी सामान्य बैठक में कामकाज के संचालन के लिए आवश्यक कोरम समिति के सदस्यों की ऐसी संख्या या अनुपात होगा जो समय-समय पर उपनियमों द्वारा तय किया जा सकता है, लेकिन नहीं होगा तीन से कम:- बशर्ते कि, यदि किसी समिति की किसी सामान्य या विशेष बैठक में कोरम मौजूद नहीं है, तो अध्यक्ष बैठक को ऐसे किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर देगा जो वह उचित समझे, और जो कार्य पहले लाया गया होगा यदि मूल बैठक में कोरम मौजूद था तो उसे स्थगित बैठक से पहले लाया जाएगा और उसमें लेनदेन किया जाएगा, चाहे वहां कोरम मौजूद हो या नहीं।

**उपनियम 4: नोटिस [धारा 31(1)]।–(1)** सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बैठक की एक लिखित सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी या उसके सामान्य निवास स्थान या किसी वयस्क सदस्य के साथ व्यवसाय पर छोड़ दी जाएगी। उसके परिवार का नौकर और यदि इसे इस प्रकार वितरित नहीं किया जा सकता है, तो इसे स्थान या उसके निवास या व्यवसाय के किसी विशिष्ट भाग पर चिपका दिया जाएगा, जिसमें सामान्य बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले और विशेष के लिए अड़तालीस घंटे का समय दिया जाएगा। बैठक।

(2) प्रत्येक बैठक के नोटिस में वहां किए जाने वाले प्रस्तावित व्यवसाय को निर्दिष्ट किया जाएगा और बैठक का स्थान, तारीख और समय बताया जाएगा।

**उपविधि-14. स्थगन और स्थगित बैठक की सूचना [धारा 31 (सी) और (1)]।** - अपेक्षित कोरम के अभाव में या यदि सदस्य बैठक में उपस्थित अधिकांश सदस्यों के फैसले या निर्णय का पालन करने से इनकार करते हैं, तो अध्यक्ष किसी भी समय बैठक को स्थगित कर सकता है और एक बार बैठक स्थगित होने

के बाद बैठक की आगामी कार्यवाही या उसके बाद पारित कोई भी प्रस्ताव शून्य हो जाएगा। स्थगित बैठक की सूचना अध्यक्ष द्वारा मौके पर ही दी जाएगी और उपनियम 4 के अनुसार अनुपस्थित सदस्यों को भेजी जाएगी। स्थगित बैठक में अधूरे छोड़े गए कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा। जो बैठक स्थगित कर दी गई। स्थगित बैठक में कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा:

बशर्ते कि ऐसी स्थगित बैठक का स्थान, तिथि या समय आपातकालीन स्थिति में संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में, बैठक के लिए अपेक्षित कोरम की आवश्यकता होगी।

नियम 70: निष्ठा की शपथ और राष्ट्रपति का चुनाव आदि। किसी समिति के लिए चुने गए सदस्य अड़तालीस घंटे के नोटिस पर अपने सामान्य निवास स्थान पर नवगठित समिति की पहली बैठक बुलाते हैं। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि उपस्थित सदस्यों को निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी और बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। संयोजक सदस्यों को शपथ दिलाएगा और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव तक बैठक की अध्यक्षता करेगा। ऐसी बैठक समिति की वैध रूप से बुलाई गई बैठक मानी जाएगी। अधिनियम की धारा 31 के प्रावधानों के तहत बनाए गए किसी भी उप-कानून में किसी भी बात के बावजूद, निष्ठा की शपथ का प्रशासन और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कार्यवाही के भाग के रूप में दर्ज किया जाएगा। बैठक।

(2) निष्ठा की शपथ उस सदस्य को दिलाई जाएगी जो उप-नियम (1) के तहत बुलाई गई बैठक में उपस्थित नहीं था या उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा बाद में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या नामांकित सदस्य को दिलाई जाएगी। सदस्य ऐसी शपथ लेते प्रतीत होते हैं।

(3) राष्ट्रपति के पद की अवधि पांच वर्ष या सदस्य के रूप में उसके कार्यालय के शेष कार्यकाल, जो भी कम हो, के लिए होगी। अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों में से किया जायेगा।

(4) नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पद सामान्य वर्ग के सदस्यों में से भरे जायेंगे। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को चक्रानुक्रम द्वारा, जो नीचे दिए गए तरीके से निर्धारित किया जाएगा:

बशर्ते कि राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित राष्ट्रपति के पदों की संख्या उसी अनुपात में होगी। राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के बराबर नगर पालिकाओं के ऐसे कार्यालयों की कुल संख्या राज्य की कुल जनसंख्या है:

बशर्ते कि नगर पालिकाओं में राष्ट्रपति के कुल कार्यालयों की एक तिहाई से कम नहीं हो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित पदों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। महिलाओं के लिए कार्यालयों का आरक्षण अलग-अलग नगर पालिकाओं में बारी-बारी से किया जाएगा, जिसे {राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा} और संबंधित जिलों के उपायुक्तों या उनके नामांकित व्यक्ति की एक समिति द्वारा ड्रॉ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि आरक्षित वर्ग की महिला उपलब्ध न हो तो अध्यक्ष का पद उक्त आरक्षित वर्ग के पुरुष सदस्य से भरा जाएगा। {यदि आरक्षित वर्ग की कोई महिला बाद में निर्वाचित हो जाती है, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा और निर्वाचित महिला इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाएगी।}

आगे बशर्ते कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रपति के पदों की संख्या उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी और अलग-अलग नगर पालिकाओं में बारी-बारी से होगी, सबसे पहले, अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी आबादी वाली, दूसरे, पिछड़ों की सबसे बड़ी आबादी वाली शेष नगर पालिकाओं में से। कक्षाएं और वे नगर पालिकाओं के कार्यालयों की अगली शर्तों में घूमते हैं जिनकी अगली सबसे बड़ी आबादी होती है और इसी तरह। यदि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के संबंध में दो नगर पालिकाओं या नगर परिषदों की जनसंख्या का प्रतिशत समान है, तो आरक्षण का निर्धारण [राज्य चुनाव आयुक्त, हरियाणा] और उपायुक्त की एक समिति द्वारा आयोजित किए जाने वाले ड्रा द्वारा किया जाएगा। संबंधित जिला या उसका नामांकित व्यक्ति:

बशर्ते कि नगर परिषद का कार्यालय पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होने की स्थिति में, अध्यक्ष पिछड़े वर्ग के सदस्यों में से चुना जाएगा और नगर पालिका समिति के मामले में, पिछड़ा वर्ग के सदस्य को निर्वाचित माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित समिति के अध्यक्ष।"

(5) यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम की धारा 18 के अनुसार, निर्वाचित सदस्यों में से एक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है, अधिनियम की धारा 26 के अनुसार, केवल दो ही हो सकते हैं समिति की बैठकों के प्रकार जो सामान्य या विशेष हो सकती हैं, अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, समिति की किसी भी सामान्य या विशेष बैठक में किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए कोरम आवश्यक है जो सदस्यों की संख्या का आधा होगा समिति वास्तव में उस समय कार्यरत है, लेकिन 3 से कम नहीं होगी, उपनियम 4 में प्रावधान है कि नोटिस बैठक के निर्दिष्ट स्थान, तिथि और समय के लिए होना चाहिए। उपविधि 14 में प्रावधान है कि स्थगित बैठक की स्थिति में अध्यक्ष को मौके पर ही नोटिस देना होगा और उपविधि 4 के अनुसार अनुपस्थित सदस्यों को भेजना होगा और नियम 70 में प्रावधान है कि बैठक की अवधि के भीतर किसी समिति के लिए चुने गए सदस्यों के नामों की अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन बाद, उपायुक्त या इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त कोई राजपत्रित अधिकारी अड़तालीस घंटे के नोटिस पर नवगठित समिति की पहली बैठक बुलाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपस्थित सदस्यों को निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी और बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव होगा। संयोजक सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव तक बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(6) अपीलकर्ताओं के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि 5 अगस्त, 2005 का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अवैध है क्योंकि इसे कानून के तहत निर्धारित कोरम के बिना पारित किया गया है। उन्होंने 12 अप्रैल, 2004 की बैठक का हवाला दिया है जो केवल नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के उद्देश्य से कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसलिए, नियम 70 के तहत जो बैठक आयोजित की गई थी वह 12 अप्रैल, 2004 को समाप्त हो गई थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के उद्देश्य से उपराष्ट्रपति, 21 फरवरी, 2005 को एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी जो कोरम की कमी के कारण विफल हो गई थी क्योंकि 17 सदस्यों में से केवल 8 सदस्यों ने भाग लिया था जबकि कोरम 9 की आवश्यकता थी, हालांकि, चुनाव के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था 5 अगस्त, 2005 को आयोजित विशेष बैठक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जिसमें 17 सदस्यों में से फिर से 8 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनकी संख्या आवश्यक कोरम से कम थी। अपीलकर्ताओं के वकील ने इस प्रकार तर्क दिया है कि यद्यपि कोरम अधूरा था और

5 अगस्त, 2005 की कार्यवाही सीधे 21 फरवरी, 2005 को हुई कार्यवाही के विपरीत थी, फिर भी विद्वान एकल न्यायाधीश ने गलती से निर्णय लिया है कि चुनाव के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं है। विशेष बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, क्योंकि यह समिति का कार्य नहीं है। अपीलकर्ताओं के वकील ने आगे बताया कि 17 अप्रैल, 2003 को, राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा ने संविधान के अनुच्छेद 243ZA के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के चुनाव के संबंध में निर्देश जारी किए थे। भारत के अधिनियम की धारा 3 ए में बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव कराते समय नामांकन पत्र कैसे भरा जाना है। नामांकन पत्र का प्रासंगिक भाग रिकॉर्ड से निकाला गया है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "(1) कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव के लिए नामांकन पत्र नीचे दिया गया है: - चुनाव के लिए नामांकन पत्र का प्रपत्र नगर पालिका परिषद/समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद के लिए।
>
> नगरपालिका परिषद/समिति का नाम _____
>
> उम्मीदवार का पूरा नाम _____
>
> पिता का नाम/पति का नाम _____
>
> पूरा पता _____
>
> प्रस्तावक का पूरा नाम _____
>
> प्रस्तावक के हस्ताक्षर _____
>
> दूसरा पूरा नाम _____ _____
>
> अनुमोदक के हस्ताक्षर _____
>
> उम्मीदवार की घोषणा मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं नामांकन से सहमत हूं और सेवा करने को तैयार हूं।
>
> स्थान_____
>
> दिनांक_____ उम्मीदवार के हस्ताक्षर,
>
> किसी भी अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग का सदस्य होने वाले उम्मीदवार द्वारा घोषणा, मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं_____जाति का सदस्य हूं, जिसे हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग में घोषित किया गया है। दिनांक: उम्मीदवार के हस्ताक्षर"

(7) अपीलकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया है कि 5 अगस्त, 2005 के संकल्प में, प्रस्तावक के नाम का उल्लेख किया गया है, हालांकि, अनुमोदक का नाम उसकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है। यह बताया गया कि कार्यवाही शुरू होने के समय, जीत सिंह नगर पार्षद ने कुलदीप सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा और धर्मपाल सिंगला, नगर पार्षद

ने श्रीमती के नाम का प्रस्ताव रखा। क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए कृष्णा लाकड़ा, लेकिन कार्यवाही में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि उनका समर्थन किसने किया था. आगे यह तर्क दिया गया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य की सराहना करने में गलती की है कि 21 फरवरी, 2005 और 5 अगस्त, 2005 को आयोजित दोनों बैठकों को स्पष्ट रूप से "विशेष बैठकें" के रूप में उल्लेख किया गया था और यह अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रदान किया गया है कि कोरम किसी विशेष बैठक के कामकाज को निपटाने के लिए आवश्यक है कि उस समय वास्तव में कार्यरत समिति के सदस्यों की संख्या का आधा होना चाहिए, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए, अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार बैठक जो हो चुकी है अपने आप में एक विशेष बैठक आयोजित की गई जो अधिनियम की धारा 26 और 27 के अंतर्गत आती है, विद्वान एकल न्यायाधीश की यह टिप्पणी कि नियमों के तहत आयोजित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं है, न केवल गलत है बल्कि अवैध है।

(8) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के विद्वान वकील श्री पी.के. मुटनेजा ने तर्क दिया कि नगरपालिका समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नियमों के तहत एक बैठक में किया जाना है। किसी कोरम की आवश्यकता नहीं है. समिति की सामान्य और विशेष बैठक में कामकाज निपटाने के लिए कोरम की आवश्यकता होती है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव समिति का काम नहीं है। उन्होंने आगे अनुच्छेद 243ZA के प्रावधानों का उल्लेख किया। भारत के संविधान के 243W, 243X, 253R(b) के साथ-साथ अधिनियम की धारा 3A और नियमों के नियम 70। उनका तर्क है कि नियमावली का नियम 70 अपने आप में एक संहिता है जिसमें कोरम का कोई प्रावधान नहीं है। वकील ने तर्क दिया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय कानून के अनुसार है और अपील में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अंत में, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के वकील ने भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका के वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए था। इस संबंध में, पृथ्वी राज बनाम राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और अन्य (1) के मामले में न्यायालय की पूर्ण पीठ के एक फैसले का हवाला दिया गया है।

(9) श्री एस.के. बिश्नोई, राज्य के वकील और श्री बी.एस. प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सरा ने प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के वकील द्वारा उठाए गए तर्कों को अपनाया।

(10) हमने पार्टियों के वकील को सुना है और उनकी सहायता से रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(11) तथ्य ज्यादा विवादास्पद नहीं हैं।

(12) नियमावली के नियम 70 के अनुसार, उपायुक्त या उनके द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी को समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों की अवधि के भीतर समिति की पहली बैठक बुलानी होती है। नवगठित समिति ने 48 घंटे के नोटिस पर स्पष्ट रूप से कहा कि नवनिर्वाचित सदस्यों को निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी और उस बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा।

(1) 2007(2) आईएलआर(पी एंड एच) 206।

नियमों के नियम 70 के तहत, स्पष्ट रूप से कोई कोरम निर्धारित नहीं है क्योंकि सभी नवनिर्वाचित सदस्यों से शपथ लेने के उद्देश्य से उस बैठक में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है। 12 फरवरी, 2004 को आयोजित बैठक में जहां सभी 15 निर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए, उन्हें केवल निष्ठा की शपथ दिलाई गई और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के उद्देश्य से कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई। शपथ के बाद 12 फरवरी 2004 की बैठक बिना राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ के संपन्न कर दी गई।

(13) 12 फरवरी, 2004 की उपरोक्त बैठक के बाद, लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद 21 फरवरी, 2005 को विशेष रूप से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के उद्देश्य से एक "विशेष बैठक" बुलाई गई थी, लेकिन वह बैठक विफल रही थी कोरम की कमी के कारण समिति के 17 सदस्यों में से प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक कोरम 9 सदस्यों का था, जिनमें से केवल 8 सदस्य ही बैठक में शामिल हुए थे। इसलिए, बैठक के अध्यक्ष द्वारा बिना कोई विशिष्ट तिथि और समय बताए बैठक को स्थगित/स्थगित कर दिया गया। हमारे विचार में, यह बैठक, एक विशेष बैठक होने के नाते, अधिनियम की धारा 27 के अनुसार उस समय सेवारत समिति के सदस्यों की संख्या के आधे का कोरम पूरा करना आवश्यक था, जिसमें प्रस्ताव सही ढंग से पारित नहीं किया गया था। हालाँकि, अगले छह महीने के अंतराल के बाद, नए सिरे से सूचना देकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 5 अगस्त, 2005 को एक और "विशेष बैठक" बुलाई गई लेकिन इस बैठक में फिर से केवल 8 सदस्यों ने भाग लिया जो कि कम थी हालाँकि, 9 सदस्यों की आवश्यक कोरम से अधिक, विवादित प्रस्ताव पारित किया गया और उत्तरदाताओं संख्या 4 और 5 को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया।

(14) प्रतिवादियों के वकील हमें यह समझाने में बुरी तरह असफल रहे कि 21 फरवरी 2005 को आयोजित "विशेष बैठक" कोरम की कमी के कारण क्यों स्थगित/स्थगित की गई और 5 अगस्त को "विशेष बैठक" क्यों आयोजित की गई। 2005 में समान कोरम उपस्थित होने पर प्रस्ताव पारित किया गया। हमारे सामने जो तर्क दिया गया है वह यह है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नियम 70 के अनुसार कोरम की आवश्यकता नहीं है। हम यहां पहले ही देख चुके हैं कि आयोजित बैठक में जो नियम के तहत बुलाई गई थी नियमावली के 70वें भाग में नवनिर्वाचित सदस्यों को केवल शपथ दिलायी गयी तथा चुनाव नहीं कराये गये। चूंकि चुनाव एक विशेष बैठक में आयोजित किए गए हैं, जिसे अधिनियम की धारा 27 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसके लिए कोरम उस समय सेवारत सदस्यों की संख्या के आधे के रूप में प्रदान किया जाता है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, कानून के अनुसार अपेक्षित प्रस्ताव के बिना विवादित प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता था। इसलिए, विवादित आदेश कानून की नजर में स्पष्ट रूप से अवैध और अस्थिर है।

(15) यदि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के तर्कों के अनुसार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव केवल नियमों के नियम 70 के तहत बुलाई गई बैठक में ही किया जा सकता है और केवल विशेष या विशेष रूप से व्यापार किया जा सकता है। सामान्य बैठकें और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव समिति का काम नहीं है, फिर 5 अगस्त, 2005 का आक्षेपित प्रस्ताव एक विशेष बैठक में कैसे पारित किया जा सकता है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 और 5 चुने गए हैं। इसलिए, किसी भी कोण से देखने पर, लागू किया गया प्रस्ताव स्पष्ट रूप से अवैध और अस्थिर है।

(16) इस पर भी प्रकाश डाला जा सकता है, जैसा कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के निर्देशों के अनुसार, जिसे यहां ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, जिस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया गया है। समिति के सदस्य द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में, 5

अगस्त, 2005 की कार्यवाही में, केवल प्रस्तावक का नाम है जबकि अनुमोदक का नाम स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। इसका मतलब यह है कि राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है जो स्वयं कानून का उल्लंघन है और उत्तरदाताओं संख्या 5 और 6 के चुनाव को रद्द कर देता है।

(17) जहां तक उत्तरदाताओं का तर्क है कि अपीलकर्ताओं को लाभ उठाना चाहिए था चुनाव याचिका के वैकल्पिक उपाय का संबंध है, पृथ्वी राज (सुप्रा) के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले में कहा गया है कि नगरपालिका अधिनियम के तहत चुनाव राज्य सरकार द्वारा धारा 13 के तहत एक अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू होता है। नगरपालिका अधिनियम का ए(2). इसके बाद चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। परिणाम की घोषणा के साथ 'चुनाव' समाप्त हो जाता है। इस प्रकार, एक याचिका जो चुनाव की अवधि के दौरान चुनाव पर सवाल उठाती है, उस पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए चुनाव के नतीजे का इंतजार करना होगा और फिर भी। चुनाव आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव याचिका दायर करके आग्रह किया जाए। जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्तमान चुनाव पूर्वोक्त निर्णय के दायरे में नहीं आता है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका विचारणीय थी, हालांकि इस पहलू को मुख्य न्यायाधीश के रूप में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा तय नहीं किया गया है। याचिका गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई।

(18) चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाता है और विद्वान एकल न्यायाधीश के 3 अप्रैल, 2007 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। नतीजतन, संकल्प दिनांक 5 अगस्त, 2005 जिसके तहत उत्तरदाताओं संख्या 5 और 6 को क्रमशः नगरपालिका समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। पिंजौर और अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त, 2005 जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 5 को नगरपालिका समिति, पिंजौर के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया गया है, को भी अवैध होने के कारण रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को कार्यालय के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश भी जारी किया जा रहा है। नगरपालिका समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष. इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से कानून के अनुसार एक माह की अवधि के भीतर पिंजौर। मूल्य के हिसाब से कोई आर्डर नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा।

अर्शबीर कौर संधू

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा.